

प्रपत्र,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांक: 14 मार्च, 2012
विषय:- उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 897/ XVII(4)/2010/02(2)/11 दिनांक 18-4-2011, शासनादेश संख्या 1321/ XVII(4)/2010/02(2)/11 दिनांक 25-5-2011, शासनादेश संख्या 2580/ XVII(4)/2010/02(2)/11 दिनांक 20-12-2011, तथा शासनादेश संख्या 2593/ XVII(4)/2010/02(2)/11 दिनांक 21-12-2011 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या 2555/2011-12 दिनांक 31-1-2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की अनुदान संख्या: 15 के आयोजनेत्तर पक्ष में "राज्य महिला आयोग की स्थापना" हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 4,10,000/- (रू0 चार लाख दस हजार मात्र) की धनराशि को आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 18-4-2011 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं मदों से वहन किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या-90 (NP) /XXVII(3)/2011-2012 दिनांक 12-3-2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय
(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या: 608 (1) / XVII(4)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(दीपक सिंह प्रतार)
संयुक्त सचिव


संसदीय सचिव, XVII(4), 2011, 02(b), 11 दिनांक, मार्च, 2012 का
संसदीय सचिव

20 - अनुदान संख्या - 15 आयोजनेत्तर/मतदेय
लेखा शीर्षक : 2235.02.103.10.00
मुख्य शीर्षक : 2235 -सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02 - समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 103 -महिला कल्याण
उपशीर्षक : 13 -राज्य महिला आयोग की स्थापना
व्यौरेवार शीर्षक : 00 -

(धनराशि रू0हजार में)

मद संख्या	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2011.12 का बजट प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
16	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1600	800	400
22	आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	50	25	10
योग 103.10.00 :-		1650	825	410

(कुल धनराशि रू0 चार लाख दस हजार मात्र)


(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव